



उत्तर प्रदेश सरकार का इरादा आधी आबादी को पूरा अधिकार का वादा

पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना



पात्रता

18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं
जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो तथा

उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा

उनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु 2.00 लाख से
अधिक न हो

देय लाभ:

रुपये 1000 प्रतिमाह।



नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

आवेदन कहाँ और कैसे करें

आवेदन हेतु वेबसाइट - <https://sspy-up.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय या
जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन किये जा सकते हैं।



महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

@upwcd X@upmahilakalyan upmahilakalyan upmahilakalyan

